

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-माध्य/छाप्रोप्र/आवंटन-व्यय/25210/2018-19

दिनांक : 15.05.2018

जिला शिक्षा अधिकारी

माध्यमिक शिक्षा

बांसवाडा/भरतपुर-1/बूंदी/सीकर-2/प्रतापगढ़

विषय : पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति अनुसूचित जाति (कक्षा 09 व 10) बजट आवंटन।

प्रसंग : राज्य सरकार की स्वीकृति प.19(2)/शिक्षा-6/2017 दिनांक 16.11.2017 एवं 14.12.2017

उपर्युक्त विषयान्तर्गत पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति अनुसूचित जाति (कक्षा 09 व 10) के पूर्व वर्षों के शेष रहे विद्यार्थियों हेतु केन्द्रीय अंश का आवंटन वित्तीय वर्ष 2018-19 में निम्नांकित जिला शिक्षा अधिकारियों माध्यमिक को लेखामद 2202-02-107-(05)-[02] 13 केन्द्रीय सहायता में उनके सामने अंकितानुसार बजट आवंटित किया जाता है :-

क्र.सं.	ऑफिस आई.डी.	जिला का नाम	आवंटित राशि सी.ए.
1	21127	BANSWARA	132750
2	7236	BHARATPUR-I	150750
3	17137	BUNDI	1980000
4	11219	SIKAR-II	846325
5	22191	PRATAPGARH	371620
		TOTAL	3481445

इस आवंटित बजट राशि का उपयोग निम्न निर्देशानुसार किया जावे :-

1. राशि का आहरण संबंधित बजट मद के अन्तर्गत आवंटित की गई राशि की सीमा में ही किया जावे।
2. छात्रवृत्ति स्वीकृति आदेश भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी मानदण्डों / दिशा-निर्देशों की पालना करते हुए किए जावें।
3. छात्रवृत्ति की राशि का आहरण जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-प्रथम/द्वितीय) के कार्यालय द्वारा अपने अपने क्षेत्राधिकार के विद्यालयों हेतु किया जाएगा एवं राशि विद्यार्थियों के बैंक खातों में सीधे जमा करवाई जावेगी।
4. राशि का आवंटन पूर्व वर्षों के वंचित विद्यार्थियों हेतु किया गया है। अतः वर्ष 2016-17 तक के शेष विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का वितरण आवंटित बजट से उनके बैंक खातों में किया जावे।
5. वर्ष 2014-15 से 2016-17 के लिए जिन विद्यार्थियों को डीबीटी के माध्यम से भुगतान नहीं हुआ है उन्हीं छात्रों के लिए उक्त राशि का आवंटन किया गया है।

वित्तीय सलाहकार
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-माध्य/छाप्रोप्र/आवंटन-व्यय/25210/2017-18

दिनांक : 15.5.18

- प्रतिलिपि :-
1. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर
 2. निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान, जयपुर
 3. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर
 4. सिस्टम एनालिस्ट विभागीय वेबसाइट पर जारी करने हेतु।
 5. उप निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा विभाग, _____
 6. लेखाधिकारी बजट कार्यालय हाजा को ऑनलाईन जारी करने हेतु।
 7. अनुभाग अधिकारी, (योजना प्रकोष्ठ) कार्यालय हाजा।
 8. प्रभारी अधिकारी (छात्रवृत्ति प्रकोष्ठ) कार्यालय हाजा।
 9. रक्षित पत्रावली।

वित्तीय सलाहकार
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर